

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- पंचायत मुख्यालय, भाटा

प्रकरण सं.:-95/2018

दिनांक:- 24-5-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1186

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ. नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् क्रमशः 2072-2075 में खाता संख्या 2 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	धूड़िया मोतीसिंह	2	460,621	अखा पुत्र वागजी	अखा उर्फ अखसिंह पुत्र वागसिंह <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 24-5-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1187-1189

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अखा उर्फ अखसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

